रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 481] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 1974/अग्रहायण 4, 1896

No. 481] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 1974/AGRAHAYANA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है । जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th November 1974

S.O. 674(E)/18A/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development), No. S.O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Messrs Samastipur Central Sugar Company Limited, Samastipur, District Darbhanga (now Samastipur) (Bihar) has been taken over under clause (b) sub-section (1) of section 18A of the Industries Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), for a period of seven years up to and inclusive of the 13th December, 1974;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking should continue for a further period of two years under the body of persons authorised by the Central Government (in the order mentioned above referred to as the Board of management);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 13th December, 1976.

[No. F. 4/13/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1974

का०आ० 674(अ)/18क/आई०डी०/आर०/ए०/74.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 4460/18 क/आई डी आर ए/67 तारीख 14 दिसम्बर, 1967 (समय समय पर यथा संशोधित) आदेश द्वारा मेसर्स समस्तीपुर सेण्ट्रल शुगर कम्पनी लिमिटेड, समस्तीपुर, जिला दरभंगा (अब समस्तीपुर) (बिहार) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, (1951 का 65) की धारा 18 क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 13 दिसम्बर, 1974 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, 7 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध दो वर्ष की और अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय (जिसे ऊपर वर्णित आदेश में प्रबन्ध बोर्ड कहा गया है) के अधीन बना रहना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 13 दिसम्बर, 1976 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[सं०फा०/4/13/72-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974